

विविध बैंक प्रकरण सं0 49/2018 (RCMS 2018/00095) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा श्री गुरुनानक बालिका स्कूल, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री गुरदेव मिगलानी पुत्र श्री रोशन लाल मिगलानी 2. श्रीमती अर्चना मिगलानी पत्नी श्री गुरदेव मिगलानी 3. श्री रोशन मिगलानी पुत्र श्री मेला राम निवासी के-10, कुंज विहार, श्रीगंगानगर

21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं श्री संदीप ढाका उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा श्री गुरदेव मिगलानी और श्रीमती अर्चना मिगलानी को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 15,00,000/-रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) दिनांक 18.12.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री गुरदेव मिगलानी एवं श्रीमती अर्चना मिगलानी की अचल सम्पत्ति मकान नं. के-14, कुंज विहार, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 25'X49'=1225 वर्गफीट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 31.12.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.01.2017 को 15,70,260/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.02.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्च जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणीगण श्री गुरदेव मिगलानी एवं श्रीमती अर्चना मिगलानी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पत्ति मकान नं. के-14, कुंज विहार,

राजि
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 25'X49'=1225 वर्गफीट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री गुरदेव मिगलानी एवं श्रीमती अर्चना मिगलानी को दिनांक 18.12.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 15,00,000/- (अखरे रुपये पन्द्रह लाख रुपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी गुरदेव मिगलानी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. के-14, कुंज विहार, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 25'X49'=1225 वर्गफीट) में स्थित है, जो की प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.12.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 09.02.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिसकी पुष्टि पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) से होती है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील के बावजूद भी प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणियों की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

श्रीगंगानगर
जिला माजस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति मकान नं. के-14, कुंज विहार, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 25'X49'=1225 वर्गफीट) में स्थित है जो ऋणी श्री गुरदेव मिगलानी एवं श्रीमती अर्चना मिगलानी के नाम से है और जो की प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।


जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.02.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 09.02.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने बाबत धारा 13(2) के जारी रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण श्री गुरदेव मिगलानी, श्रीमती अर्चना मिगलानी -ऋणी एवं श्री रोशन लाल मिगलानी (गारंटर) को प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) से होती है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गारंटर द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक का भौतिक कब्जा को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं गारंटर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. के-14, कुंज विहार, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 25'X49'=1225 वर्गफीट), जो कि ऋणी श्री गुरदेव मिगलानी एवं श्री अर्चना मिगलानी के नाम से है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती

राजनी
जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर

है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञानाराम)

जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर